## DELHI LEGISLATIVE SEMBLY

#### BULLETIN-TERT-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Thursday, February 10, 1994/Magha 21, 1915 (Saka)

No 47

### DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 4.2.94 addressed to the Speaker, Delhi Vidhan Sabha, from Addl Commissioner of Police, New Delhi District was received on 7.2.94:

"Sarva Shri Vinod Sharma, Nand Kishore Garg, PK Chandla, Swaroop Chand Rajan, Rajesh Sharma, OP Babbar, Mewa Ram Arya, Motilal Sodhi, Jai Prakash Yadav, Dharam Dev Solanki, Fateh-Singh, Balbir Singh, Ram Niwas Goel, Ram Bhaj, Karan Singh-Tanwar, Brahm Singh Tanwar, Naresh Gaur, Chand Ram, Satish-Chandra Khandelwal, Darshanlal Behl, Sahib Singh Chauhan, Rajendra Gupta (Malviya Nagar), Rainder Gupta (Timarpur), Gauri Shankar Bhardwaj, Puran Chand Boers of the Delhi Legislative Assembly alongwith their other supporters were detained under Section 65 of the Dehi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police in front of PS Parliament Street at 1230 hrs on 4.2.94 and were later released at 1303 hrs from PS Parliament Street, New Delhi on the same day."

No 48

#### DETENTION AND RELEASE OF MAMBERS

The following wireless message dated 8.2.94 addressed to the Speaker, Delhi Vidhan Sabha from ACP Civil Lines, Police Control Room was received on 9.2.94:-

"Sarva Shar Tek Chand Sharma, Mukesh Sharma, Jai Kisham and Raj Kumar Chauhan members of the Delhi Legislative Assembly were detained by the Police under Section 65 of the Delhi Police Act, 1978 at 1400 hrs near the Khyber Pass and later released at 1430 hrs the same day".

PN GUPTA. Secretary

#### <u> दिल्ली विधान सभा</u> समाचार भाग-2

्रैविधायी एवं अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी है बृहस्पतिवार, 10 फरवरी, 1994/माघ 21, 1915 १ मेंक्र

(Fet T- 47

## सदस्यों की नजरबंदी एवं रिहाई

अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जिला नई दिल्लो को दिनांक 4. 2. 94 की निम्नलिख्ति संसूचना 7. 2. 94 को प्राप्त हुई :-

"दिनांक 4-2-94 को 12-30 बजे जंसद मार्ग पुलिस थाने के समक्ष पुलिस के कानून सम्भत आदेगों की अवहेलना करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत दिल्ली विधान सभा के सदस्यों, सर्वश्री विनोद शर्मा, नंद किशोर गर्ग, पी-के- चांदला, स्वरूप चंद राजन, राजेश शर्मा, ओ-पी- बब्बर, मेवा राम आर्य, मोती लाल सोद्री, जय प्रकाश यादव, धर्म देव सोलंकी, फतेह सिंह, राम निवास गोयल, राम भज, करन सिंह तंवर, ब्रह्म सिंह तंवर, नरेश गौइ, चांद राम, सतीश चन्द्र खण्डेलवाल, दर्शन लाल बहल, साहिब सिंह चौहान, राजेन्द्र गुप्ता हमालवीय नगरह, राजेन्द्र गुप्ता हितमार पुरह, गौरी शंकर भारताज, पूरन चंद योगी, भगवान दास शर्मा, मदन लाल गांबा और डा० ज्ञान चंद को उनके समर्थकों के साथ नजरबंद किया गया तथा बाद में उन्हें 13-03 बजे उसी दिन रिहा कर दिया गया।

संख्या - 48

# सदस्यों की नजरबंदी एवं रिहाई

अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित, सहायक पुलिस आयुक्त, सिविल लाइस, पुलिस कंट्रोल रूप से दिनांक 8.2.74 का निम्नलिखित बेतार संदेश 9.2.94 को प्राप्त हुआ:-

"खेबर पास के निकट दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के अंतर्गत 14.00 बजे दिल्ली विधान सभा के सदस्यों, सर्वशी टेक चंद शर्मा, मुकेश शर्मा, जयकिशन और राज कुमार को नजरबंद किया गया और बाद में उसी दिन उन्हें 14.30 बजे रिहा कर दिया गया 1

> पी• एन• गुप्ता सचिव